

मान्यता कोड : RJJAI30769

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JAIPUR , राजस्थान

क्रमांक: DEO (H.O) SEC / JPR / L-5 / 20-21 / 606

दिनांक 28/01/2021

सचिव

प्रबंध समिति

PEARSON SCHOOL DADUDAYAL NAGAR

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37948 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, PEARSON SCHOOL DADUDAYAL NAGAR पता Captain Chauhan farm near Dadu Dayal Nagar (Near ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAIPUR, NN PART 3 ब्लॉक SANGANER CITY को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	PEARSON SCHOOL DADUDAYAL NAGAR
स्वीकृत नवीन नाम	RYAN EDUNATION SCHOOL

28-01-21
जिला शिक्षा अधिकारी (सुब्यालय)
माध्यमिक, जयपुर

For Pearson School Jaipur

Principal

मान्यता कोड : RJJAI30769

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।


28.01.21
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, जयपुर

For Pearson School Jaipur


Principal

मान्यता कोड : RJJAI30769

28.01.21
जिला शिक्षा अधिकारी (विद्यालय)
माध्यमिक, राजसमुद्रितीय

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 - 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
 - 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (विद्यालय)
माध्यमिक, राजसमुद्रितीय

For Pearson School

Principal



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



No. CBSE/Aff./1730830 /CN-00055-2122/2020

Dated:10/03/2021

प्रबंधक

PEARSON SCHOOL
CAPTAIN CHOUHAN MARG,
KALYANPURA, SANGANER -303029

विषय : विद्यालय का नाम PEARSON SCHOOL से RYAN EDUNATION SCHOOL” परिवर्तन हेतु :-

महोदय/महोदया

आपके ऑनलाइन आवेदन संख्या CN-00055-2122 उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे निदेशित किया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय के नाम “PEARSON SCHOOL” से “RYAN EDUNATION SCHOOL” परिवर्तन के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है! विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों के आधार पर बोर्ड ने विद्यालय के निम्नलिखित नाम परिवर्तन को स्वकृति प्रदान की है :-

पुराना नाम	परिवर्तित नाम
PEARSON SCHOOL CAPTAIN CHOUHAN MARG, KALYANPURA, SANGANER -303029	RYAN EDUNATION SCHOOL CAPTAIN CHOUHAN MARG, KALYANPURA, SANGANER -303029

विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सभी दस्तावेजों व पत्रशीर्ष आदि पर सभी जरूरी बदलाव इस पत्र के मुताबिक कर लें उपरोक्त स्वकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ मान्य होगी !

- स्कूल पुराने नाम के साथ किसी भी शाखा या स्कूल का हिस्सा नहीं चलाएगा और भविष्य में किसी भी तरीके से अपने पुराने नाम का उपयोग नहीं करेगा !
- स्कूल का दायित्व है कि जो भी स्कूल कि देयता नाम परिवर्तन से पहले होगी, नाम परिवर्तन के बाद सभी उद्देश्यों के लिए स्कूल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा !
- सीबीएसई स्कूल के नाम बदलने या स्कूल समिति के हस्तांतरण से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा !

संयुक्त सचिव (संबद्धता शाखा.)

प्रतिलिपि :- जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए :-

1. संयुक्त सचिव (आईटी), एएमसी यूनिट, सीबीएसई, प्रीत विहार, दिल्ली में रिकॉर्ड को अपडेट करने के अनुरोध के साथ
2. प्रमुख, (मीडिया और पीआर), सीबीएसई, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली
3. क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय टोडरमल मार्ग अजमेर राजस्थान
4. प्रधानाचार्य PEARSON SCHOOL , CAPTAIN CHOUHAN MARG, KALYANPURA, SANGANER -303029

संयुक्त सचिव (संबद्धता शाखा.)



प्रारूप-2

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/278 /2012

दिनांक:- 19-10-12

संस्था सचिव

पिमरसन स्कूल

कल्माणपुरा

सांगानेर जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं पिमरसन स्कूल (विद्यालय का नाम और पता) कल्माणपुरा सांगानेर जयपुर को 01.04.12 से तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1st से 5th तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :
- (i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;
 - (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
 - (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;
 - (v) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;
 - (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
 - (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र

- कक्षा के कमरों की संख्या
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
 - पीने के पानी की सुविधा
 - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - अवरोध मुक्त पहुंच
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
 11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
 13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2012-13/...0160.....) हैं। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
 15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
 17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय -आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(2) शिक्षा-5/2010 पार्ट दिनांक 12.01.12, एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक:शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/19626/मूल मान्यता/2011-12/ दिनांक 13.01.12 की अनुपालना में इस कार्यालय के द्वारा निम्नांकित संस्थाओं को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2012-13 से कक्षा 5 संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(2) शिक्षा-5/2005 पार्ट / जयपुर दिनांक 13.09.12 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/12-13 /34 दिनांक 18.09.12 की अनुपालना में संस्था द्वारा अतिरिक्त मान्यता शुल्क रु. 15000/- जमा करवाये जाने पर सत्र 2012-13 से कक्षा 5 के साथ-साथ कक्षा 6, 7 व 8 भी संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर हिन्दी अंग्रेजी	अतिरिक्त मान्यता शुल्क डी डी संख्या / दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	ब्राइट सन पब्लिक स्कूल, राजपुतो की ढाणी, सुमेल	हिन्दी	323453 / 11.12.12	O.B.C	15000
2	पियरसन स्कूल, कल्याण पुरा सांगानेर,	अंग्रेजी	002222 / 8.12.12	Axis Bank	15000
3	मरुधर डिफेंस एकेडमी, वार्ड नं. 20, उद्योग नगर, फुलेरा	अंग्रेजी	655006 / 18.12.12.	S B B J	15000
4	मरुधर डिफेंस एकेडमी, प्लॉट नं. 26-27, गणेश नगर विस्तार, कनकपुरा	अंग्रेजी	655010 / 18.12.12.	S B B J	15000
5	अरावली हिल्स पब्लिक स्कूल, 526-28, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड	अंग्रेजी	36864 / 15.10.12	Jaipur Thar Gra. Bank	15000
6	प्रिंस चिल्ड्रन्स एकेडमी, मंसा माता नगर, हरमाडा जयपुर	अंग्रेजी	525884 / 14.12.12	S B B J	15000
7	देवांशी पब्लिक स्कूल, ग्राम वाटिका, सांगानेर जयपुर	हिन्दी	651396 / 20.12.12	Syndicate Bank	15000
8	डायमंड्स किड्स स्कूल, श्रीराम नगर, मोरिजा रोड, चौमूं	अंग्रेजी	502739 / 11.12.12	S.B.B.J	15000
9	वेदांत ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल, 1, शिव विहार गोल्यावास, बीटी रोड, मुहाना	अंग्रेजी	403801 / 24.12.12	Canara Bank	15000
10	एम.बी. चिल्ड्रन्स एकेडमी, मानविहार बी, गोनेर फाटक, टोंक रोड, जयपुर	अंग्रेजी	003357 / 19.12.12	HDFC Bank	15000

(Signature)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक:जिशिअ/जय/प्राशि/सा-5/फा- /मान्यता/12-13 524 दिनांक 27-12-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
- निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
- संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
- सचिव,..... *पियरसन स्कूल*
- रक्षित पत्रावली।

(Signature)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।



बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान

(पुस्तक भवन, 2-2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर)

बुक संख्या

192

रसीद संख्या

9560

दिनांक ..10-9-12..

पियरसन स्कूल

कलभाणपुरा सांगानेर

(विद्यालय का नाम)

से उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/अति. संकाय के लिए शैक्षणिक सत्र 2012 - 2013 में मान्यता/क्रमोन्नति हेतु

आरक्षित कोष की राशि रु. 10000/- अक्षरे दस हजार रुपये मात्र

का बैंक ड्राफ्ट नं. 27797 दिनांक 22-8-12 बैंक AXIS

स्थान/शाखा जयपुर का प्राप्त किया गया।

Rs. 10000/-

प्राप्तकर्ता
मय कार्यालय की मोहर